

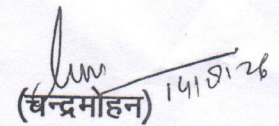
कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर।

दिनांक: 14 अगस्त 2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर स्थित अभिलेखागार (दीवानी) एवं अभिलेखागार (फौजदारी) में निर्णीत पत्रावलियों के विनिष्टिकरण के उपरान्त एकत्रित हुई रद्दी/कागज की मात्रा लगभग 20 (बीस) कुंतल से अधिक है, का सार्वजनिक नीलाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 18 अगस्त 2026 को समय सायं 4 बजे किया जायेगा।

- 1- सभी बोलीदाताओं को बोली में भाग लेने हेतु सुरक्षा धनराशि रु0 1,000/- (अंकन एक हजार रुपये) नजारत अनुभाग में केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना होगा। यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त सुरक्षा धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
- 2- रद्दी कागजों की नीलामी प्रति किलोग्राम की दर से होगी एवं उच्चतम बोलीकर्ता के स्वयं के खर्च पर वजन/तोल करना होगा।
- 3- उच्चतम/अन्तिम बोली की नीलामी की धनराशि की एक चौथाई धनराशि तत्काल जमा करना होगा एवं शेष धनराशि बोली स्वीकृत होने के पश्चात जमा करना होगा। यदि उच्चतम बोलीकर्ता नीलामी की धनराशि का एक चौथाई भाग तत्काल जमा नहीं करता है, तो उसकी बोली को निरस्त कर सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 4- बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात ही माल उठाने दिया जायेगा।
- 5- 02 दिन की अवधि में यदि नीलामी की शेष धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो पूर्व में जमा की गयी सुरक्षा धनराशि एवं नीलामी की एक चौथाई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6- नीलामी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सार्वधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर में निहित होगा।


(चन्द्रमोहन) 14/8/26

केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।